न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, झाँसी।
विविधवाद सं०-53/2024
केनरा बैंक बनाम नौशाद खां

दि0-31.07.2026

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर कोई पक्ष उपस्थित नहीं है। बार-बार पुकार पर भी न तो वादीपक्ष से और न ही प्रतिवादीपक्ष से कोई उपस्थित है।

2. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि पत्रावली कई तिथियों से वादीपक्ष के इस अनुरोध पर कि उन्हें अन्य अधिवक्ता नियुक्त करना है, पत्रावली में अग्रिम तिथि नियत होती रही। पूर्व नियत तिथि पर सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक श्री अवनीश कुमार प्रजापति के द्वारा उपस्थित आकर यह कथन किया गया है कि उनके द्वारा अपना अधिवक्ता अग्रिम तिथि तक नियुक्त कर लिया जायेगा, किन्तु आज वादीपक्ष से कोई उपस्थित नहीं है। प्रकरण वर्ष 2024 से लम्बित है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार वाद को मात्र विलम्बित करने की मंशा रखते हैं।

3. अतः प्रकरण विविध उभयपक्ष की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही, पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी,
कामर्शियल कोर्ट, झांसी।